उपखण्ड अधिकारी {राजस्व}, श्रीकरणपुर जिला श्रीगं

दलजीत सिंह **बनाम** गुरविन्द्र सिंह आदि

अन्तर्गत धारा 212 आरटीए नम्बर 66 सन् 2024

जी.सी.एम.एस. नम्बर 2024/211

तामिल हुकम	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
23.08.2024	अधिवक्तागण उपस्थित। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए पर सुनी गई, बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी अधिवक्ता के द्वारा दौराने बहस अर्ज किया कि चक 42 एच की जमाबन्दी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 61/52 के मुरब्बा नम्बर 41 की कुल 3.163 हैक्टेयर भूमि में से अप्रार्थी संख्या 1 गुरविन्द्र सिंह के नाम दर्ज 1.581 हैक्टेयर भूमि, प्रार्थी द्वारा जरिए ईकरारनामा खरीद की गई है। अब अप्रार्थी उक्त भूमि को अन्य व्यक्ति को बेचान करने की फिराक में है। इसलिए उक्त भूमि के सम्बन्ध में ताफैसला वाद मौका व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाए रखे जाने बाबत आदेश पारित किये जावे। अप्रार्थी अधिवक्ता के द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया गया कि यदि प्रार्थी द्वारा वैध रूप से इकरारनामा करवाया जाता तो प्रार्थी विनिर्दिष्ट अनुपालना का वाद दीवानी न्यायालय में पेश करता। प्रार्थी को वादाधीन कृषि भूमि के बाबत भूमि के वास्तविक खातेदार के विरूद्व वाद प्रस्तुत करने अथवा उसके विरूद्व स्थगन प्रार्थना पत्र बिलाधिकार रूप से पेश किया गया होने से खारिज किये जाने योग्य है। लिहाजा अप्रार्थी वादग्रस्त भूमि का अभिलिखित खातेदार है। अतः अभिलिखित खातेदार के विरूद्व अस्थायी निषेधाज्ञा जारी किया जाना हम विधिसंगत नही समझते है। उपर्युक्त विवेचन के आलोक में हस्तगत प्रकरण के तीनों बिन्दू यथा प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एंव अपूरणीय क्षति प्रार्थी अपने पक्ष में साबित करने में पूर्णतया असफल रहा है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी अंतर्गत धारा 212 आरटीए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 बाबत अस्थाई व्यादेश भली-भांति साबित नहीं होने एवं सारहीन होने से अस्वीकार/खारिज किया जाता है। पत्रावली इस कदर फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर मूलवाद के साथ संलग्न हो।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर (श्रीगंगानगर)